

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 8 / 01 / 2019

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 18,07,63,834/- मात्र की लागत पर योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 6,38,53,834/- मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 6,38,53,834/- (रुपये छः करोड़ अड़तीस लाख तिरपन हजार आठ सौ चौतीस) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-884(1), दिनांक-11.08.2015 द्वारा वाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रति यूनिट रु० 5,84,55,000/- मात्र की दर से कुल रु० 11,69,10,000/- (रुपये ग्यारह करोड़ उन्हत्तर लाख दस हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2- विभागीय आवंटनादेश सं०-47(1)ब०, दिनांक-11.08.2015 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु रु० 11,69,10,000/- (रुपये ग्यारह करोड़ उन्हत्तर लाख दस हजार) मात्र का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है।

3- पुनः बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-1816, दिनांक-21.07.2018 द्वारा 100 नामांकन क्षमता के स्थान पर 250 नामांकन क्षमता को दृष्टपथ रखते हुए, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु रु० 12,23,08,834/- मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के केन्द्रीय पुस्तकालय के पुनरीक्षण के फलस्वरूप योजना की कुल लागत रु० 18,07,63,834/- (रुपये अठ्ठारह करोड़ सात लाख तिरसठ हजार आठ सौ चौतीस) मात्र निम्नरूपेण हो जाती है-

क्र० सं०	संस्थान का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	पुनरीक्षित राशि (रु० में)	अभ्युक्ति
1	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया	5,84,55,000/-	12,23,08,834/-	100 नामांकन क्षमता के स्थान पर 250 नामांकन क्षमता के अनुसार scope of work को बढ़ाया गया है।
2	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	5,84,55,000/-	5,84,55,000/-	
	कुल-	11,69,10,000/-	18,07,63,834/-	

4- तदनुसार विभागीय राज्यादेश सं०-1375(1), दिनांक-06.12.2018 द्वारा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 18,07,63,834/- मात्र की लागत पर योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय व्ययदेश सं०-.....59(1)..... दिनांक-.....९-०१-१९..... द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्कीम (योजना) की अवशेष राशि रु० 6,38,53,834/- मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 6,38,53,834/- (रुपये छः करोड़ अड़तीस लाख तिरपन हजार आठ सौ चौतीस) मात्र का आवंटन दी जाती है।

5- यह कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०-884(1), दिनांक-11.08.2015 एवं राज्यादेश सं०-1375(1), दिनांक-06.12.2018 (पुनरीक्षित) में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), एवं दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस योजना के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।


8- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

9- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-38/2018- ३२(1)६०


/स्वा०, पटना, दिनांक- ८ / ०१ / 2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/जिलाधिकारी, गया/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, स्वास्थ्य विभाग एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- ९ / ० / 2019

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 18,07,63,834/- मात्र की लागत पर योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 6,38,53,834/- (रुपये छः करोड़ अड़तीस लाख तिरपन हजार आठ सौ चौतीस) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-884(1), दिनांक- 11.08.2015 द्वारा वाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रति यूनिट रु० 5,84,55,000/- मात्र की दर से कुल रु० 11,69,10,000/- (रुपये ग्यारह करोड़ उन्हत्तर लाख दस हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2- विभागीय आवंटनादेश सं०-47(1)ब०, दिनांक-11.08.2015 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु रु० 11,69,10,000/- (रुपये ग्यारह करोड़ उन्हत्तर लाख दस हजार) मात्र का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है।

3- पुनः बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-1816, दिनांक-21.07.2018 द्वारा 100 नामांकन क्षमता के स्थान पर 250 नामांकन क्षमता को दृष्टपथ रखते हुए, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु रु० 12,23,08,834/- मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के केन्द्रीय पुस्तकालय के पुनरीक्षण के फलस्वरूप योजना की कुल लागत रु० 18,07,63,834/- (रुपये अठ्ठारह करोड़ सात लाख तिरसठ हजार आठ सौ चौतीस) मात्र निम्नरूपेण हो जाती है-

क्र० सं०	संस्थान का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	पुनरीक्षित राशि (रु० में)	अभ्युक्ति
1	अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया	5,84,55,000/-	12,23,08,834/-	100 नामांकन क्षमता के स्थान पर 250 नामांकन क्षमता के अनुसार scope of work को बढ़ाया गया है।
2	जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	5,84,55,000/-	5,84,55,000/-	
	कुल-	11,69,10,000/-	18,07,63,834/-	

4- तदनुसार विभागीय राज्यादेश सं०-1375(1), दिनांक-06.12.2018 द्वारा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 18,07,63,834/- मात्र की लागत पर योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्कीम (योजना) की अवशेष राशि रु० 6,38,53,834/- (रुपये छः करोड़ अड़तीस लाख तिरपन हजार आठ सौ चौतीस) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- यह कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०-884(1), दिनांक-11.08.2015 एवं राज्यादेश सं०-1375(1), दिनांक-06.12.2018 (पुनरीक्षित) में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/ वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), एवं दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7- इस योजना के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

8- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

9- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए, उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।


10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11- इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-1/विविध-38/2018 के पृष्ठ-23/टि० पर प्राप्त है।

12- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

13- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-38/2018- 59(1)

/स्वा०, पटना, दिनांक- ४ /०१ / 2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर/जिलाधिकारी, गया/जिलाधिकारी, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन

पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया एवं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, स्वास्थ्य विभाग एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/11/19

सरकार के विशेष सचिव

YS